

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

S.D.O.

मुकाम

लीलासु

बनाम

श्रीमती लक्ष्मी

किस्म मुकदमा

S.P. JACT

नं.

28/18 सन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5/6/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट 95वम पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि श्रीमती लक्ष्मी गारासु मुर्दा 15</p> <p>श्रीमती लक्ष्मी गारासु मुर्दा 15</p> <p>श्रीमती लक्ष्मी गारासु मुर्दा 15</p> <p>श्रीमती लक्ष्मी गारासु मुर्दा 15</p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रातेवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा प्रो. 53 1 अक्षर 1 गारासु मुर्दा 15</p> <p>163 अ. 0.32 4.16</p> <p>2 अक्षर 1 गारासु मुर्दा 15</p> <p>163, 0.32 4.16</p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार वडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)</p> <p>RAS</p> <p>पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर</p>	

